कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 11/2024 **दिनांक 03/11/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्य़ाःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 02.11.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) जनपद वाराणसी द्वारा जारी एन0बी0डब्लू0/ वारण्टी मु0नं0 25/19 धारा 3 घरेलू हिंसा अधि0 शाहिस्ता बनाम एकराम कुरैशी से सम्बन्धित वारण्टी एकराम कुरैशी पुत्र स्व0 मो0 असलम निवासी खुदाईपुरा (नखास) थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 33 वर्ष को आज दिनांक 02.11.2024 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पताः-

1. एकराम कुरैशी पुत्र स्व0 मो0 असलम निवासी खुदाईपुरा (नखास) थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 33 वर्ष।

02- थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 572/2024 धारा 65(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 02.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 572/2024 धारा 65(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विकास पुत्र स्व0 विजय राम निवासी ग्राम बघुई बुजुर्ग थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष को आदर्श गांव गेट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पताः-

1 .विकास पुत्र स्व0 विजय राम निवासी ग्राम बघुई बुजुर्ग थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहासः-

1 .मु0अ0सं0- 572/2024 धारा 65(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

03- थाना दुल्लहपुर पुलिस टीम द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 175/24 धारा 191(2),191(3),115(2),352,105 बीएनएस में वांछित 01 नफर अभियुक्ता व 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 02.11.2024 को थानाध्यक्ष दुल्लहपुर मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 175/24 धारा 191(2),19 1(3),115(2),352,105 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता/अभियुक्तगण 1.जसवन्त चौहान 2. बलवन्त चौहान पुत्रगण अर्जुन चौहान व 3.फुलझारी देवी पत्नी अर्जुन चौहान समस्त नि0गण खुटहाँ थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को अमारी रेलवे गेट के पास से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारअभियुक्त जसवन्त चौहान के निशानदेही पर हत्या मे प्रयोग किया गया आलाकत्ल एक अदद स्टील की पाइप को सोनहरा ग्राम नहर पुलिया के नीचे से बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता/अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्ता/अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1 .जसवन्त चौहान पुत्र अर्जुन चौहान निवासी खुटहाँ थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

2 .बलवन्त चौहान पुत्र अर्जुन चौहान निवासी खुटहाँ थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

3 .फुलझारी देवी पत्नी अर्जुन चौहान निवासी खुटहाँ थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगीः-

1. एक अदद आलाकत्ल स्टील की पाइप

आपराधिक इतिहास

1 .जसवन्त चौहान पुत्र अर्जुन चौहान नि0खुटहाँ थाना दुल्लहपुर गाजीपुर।

मु0अ0सं0- 175/24 धारा 191(2),191(3),115(2),352,105 बीएनएस थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।

2 .बलवन्त चौहान पुत्र अर्जुन नि0खुटहाँ थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।

मु0अ0सं0- 21/24 धारा 147,323,504 भादवि थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।

मु0अ0सं0- 175/24 धारा 191(2),191(3),115(2),352,105 बीएनएस थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।

3.फुलझारी देवी पत्नी अर्जुन चौहान नि0खुटहाँ थाना दुल्लहपुर गाजीपुर

मु0अ0सं0- 21/24 धारा 147,323,504 भादवि थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।

मु0अ0सं0- 175/24 धारा 191(2),191(3),115(2),352,105 बीएनएस थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।

04- थाना सैदपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 224/2024 धारा 191(2),191(3),127(2),132,352, 351(3) बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट व 150,151,152,153,174 भारतीय रेल अधिनियम 1989 में वांछित 05 नफरअभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.10.2024 को माहपुर रेलवे हाल्ट अंतर्गत थाना सैदपुर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर आजाद पार्टी रोहित कुमार बादल पुत्र सन्तलाल बादल ग्राम रामचरनपुर थाना सैदपुर उम्र करीब 25 वर्ष अपने 15- 20 साथियो के साथ आसपास के गांव से प्रलोभन देकर व बहला फुसलाकर अपने साथ 150 से 200 महिलाओं, बच्चो एवं बुजुर्गों के साथ माहपुर हाल्ट को रेलवे स्टेशन बनाये जाने पर रेलवे ट्रैक पर OHE पोल रखते हुए रेलवे ट्रैक जाम कर देना जिसके कारण कृषक ट्रेन (15008) 45 मिनट माहपुर हाल्ट पर रुकी रही व गोरखपुर इण्टरसिटी (15130) औड़िहार स्टेशन पर 24 मिनट विलम्ब हुई। तथा रेल मे यात्रा करने वाले यात्रियों के जान माल का खतरा उत्पन्न हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 224/2024 धारा 191(2), 191(3), 127(2), 132, 352, 351(3) बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट व 150, 151, 152, 153, 174 भारतीय रेल अधिनियम 1989 पंजीकृत हुआ।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 02.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक सैदपुर मय हमराहीयान के द्वारा उक्त प्रकरण में वांछित 05 अभियुक्तगणों को ग्राम कैथवलिया थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर से नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसमे विवेचनात्मक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट : संबंधित प्रकरण मे 03 अभियुक्तगण की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी है।

नाम पता अभियुक्तगण-

1 . शिवपूजन पुत्र विपत राम निवासीग्राम पहाडपुर हिराधरपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 58 वर्ष

2 . पारस राम पुत्र संत कुमार निवासीग्राम पहाडपुर हिराधरपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 58 वर्ष

3 . रामनवल पुत्र सर्जुन उर्फ जपानी उर्फ सुरजुन निवासीग्राम कैथवलिया थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 59 वर्ष

4. बादल कुमार पुत्र राजेश राम निवासीग्राम कैथवलिया थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष

5. अवनीश कुमार पुत्र अवधू राम निवासीग्राम कैथवलिया थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 224/2024 धारा 191(2), 191(3), 127(2), 132, 352, 351(3) बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट व 150, 151, 152, 153, 174 भारतीय रेल अधिनियम 1989 थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर